

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- मेंहनगर

किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना

दिनांक 02-03-2023 को वादिनी थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादिनी अपने घर से स्कूल पढ़ने के लिए जा रही थी, तभी रास्ते में अभियुक्तों 1-अरविन्द राजभर पुत्र सहंगू राजभर निवासी उषमापुर 2- महेन्द्र यादव पुत्र राजाराम यादव निवासी उषमापुर 3- सोनू वेंनवंशी पुत्र रामदवर वेनवंशी निवासी नई गाँव द्वारा वादिनी के साथ छेड़खानी की गयी, वादिनी द्वारा शोर करने पर ये लोग मौके से भाग गये। पुनः दिनांक 02.03.2023 को समय 4.30 बजे शाम को नई गाँव के शिवान में वादिनी को दूसरे अज्ञात लडकों से गाली देते हुए लात घुसों से मरवाये व जान से मारने की धमकी भी दियो। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 90/23 धारा 354घ,323/504/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम उपर्युक्त आदि 04 नफर पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना के क्रम में अभियुक्त आदित्य उर्फ विक्की पुत्र अजय राजभर निवासी नई थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

*गिरफ्तारी की विवरण-

उ.नि. रामअवध यादव म. हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त आदित्य उर्फ विक्की पुत्र अजय राजभर निवासी नई थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ को अभियुक्त के घर से समय करीब 06.00 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

*पंजीकृत अभियोग-

मु.अ.सं. 90/23 धारा 354घ,323/504/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़

*आपराधिक इतिहास-

मु.अ.सं. 174/23 धारा 34/392/411 भादवि थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

*गिरफ्तार अभियुक्तगण-

अभि0 आदित्य उर्फ विक्की पुत्र अजय राजभर सा0 नई थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ.नि. रामअवध यादव मय हमराह थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

थाना- बरदह

बाउण्डी वाल तोड़ कर ईट चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-

दिनांक 13.05.23 को वादिनी राजकुमारी निवासी कुड़िहर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्तों 1-रमेश पाण्डेय पुत्र शोभा पाण्डेय निवासी कुड़िहर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ 2.बसन्त पाण्डेय पुत्र परमेश पाण्डेय निवासी ग्राम कुड़िहर थाना बरदह आजमगढ़ 3- नीलेश पाण्डेय पुत्र परमेश पाण्डेय निवासी ग्राम कुड़िहर थाना बरदह आजमगढ़ 4- गण्पू पुत्र बांकेलाल निवासी ग्राम कुड़िहर थाना बरदह आजमगढ़ द्वारा वादिनी के बाउण्डीवाल को तोड़कर उसका ईट उठा ले जाया गया व जान से मारने की धमकी भी दी गयी। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 175/2023 धारा 323,504,506,427 भादवि बनाम उपर्युक्त आदि 04 नफर पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में धारा 327,379,411 भादवि की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 15.05.23 को उ0नि0 दिनेश चन्द पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तों 1. रमेश पाण्डेय पुत्र शोभा पाण्डेय निवासी कुड़िहर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 53 वर्ष, 2. बसन्त पाण्डेय पुत्र परमेश पाण्डेय निवासी ग्राम कुड़िहर थाना बरदह आजमगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष को जिवली मोड़ से समय करीब 08.20 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 175/2023 धारा 323,504,506,427, 327,379,411 भादवि थाना बरदह जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1-रमेश पाण्डेय पुत्र शोभा पाण्डेय निवासी कुड़िहर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 53 वर्ष,
2.बसन्त पाण्डेय पुत्र परमेश पाण्डेय निवासी ग्राम कुड़िहर थाना बरदह आजमगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष

बरामदगी-

चोर का ईट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 दिनेशचन्द पाण्डेय मय हमराह थाना बरदह आजमगढ़

थाना बरदह

जबरजस्ती जमीन पर कब्जा करने हेतु दिवाल को तोड़ने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण / गिरफ्तारी का विवरण -

दिनांक 16.01.23 को वादिनी सीमा पत्नी प्रीतम धरीकार निवासी ग्राम जिवली थाना बरदह जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्तों 1.सीताराम सरोज पुत्र मंगली निवासी जीवली जनपद आजमगढ़ 2.राजेश सरोज पुत्र सीताराम निवासी जीवली जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी की जमीन को कब्जा करने के लिए वादिनी की दिवाल को गिरा दिया गया तथा उसपर रखे सीमेन्ट के करकट को उखाडकर फेंक दिया गया व विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गयी। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 17/23धारा 327/427/506 भादवि बनाम उपर्युक्त आदि 02 नफर पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण

आज दिनांक 15.05.2023 को उ0नि0 कमला सिंह यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त राजेश सरोज पुत्र सीताराम निवासी जिवली थाना बरदह आजमगढ़ उम्र करीब 35 को अभियुक्त के घर से समय करीब 20.15 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 17/23धारा 327/427/506/ भादवि

गिरफ्तार अभियुक्त -

राजेश सरोज पुत्र सीताराम निवासी जिवली थाना बरदह आजमगढ़ उम्र करीब 35

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

कमला सिंह यादव (उ0नि0) थाना बरदह जनपद आजमगढ़